

2013 का विधेयक सं.30

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरस्थापित किया जायेगा)

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन करने और वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 7 जून, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन.- (1) वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.11), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर" होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

3. संशोधन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंध, धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्धत किया जायेगा।

5. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) वी.आई.टी विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

उद्देशिका.- उद्देशिका में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम", के स्थान पर अभिव्यक्ति "विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- खण्ड (यक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(यक) "विश्वविद्यालय" से विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है।"

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली उच्च शिक्षा में लगी हुई प्राइवेट संस्थाओं को अनुमति प्रदान करके, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना की गयी थी।

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना के पश्चात्, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, वैल्लोर (तमिलनाडु) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय से व्यापार चिह्न "वी.आई.टी." के किसी भी रूप में अतिलंघन को रोकने के लिए अन्तरिम व्यादेश जारी करने का निवेदन किया गया था। उपर्युक्त रिट याचिका को दृष्टि में रखते हुए, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड ने प्रायोजक निकाय, अर्थात् बगड़िया एजूकेशन ट्रस्ट, जयपुर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन करके विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर करने का राज्य सरकार से निवेदन किया है जिससे कि किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

राज्य सरकार ने, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन करके 'विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर' करने के उपर्युक्त निवेदन पर विचार किया था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 7 जून, 2013 को वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 8) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 10 जून, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

वी.आई.टी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012
 (2012 का अधिनियम सं. 11) से लिए गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

उद्देशिका.- राजस्थान राज्य में वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

XX

XX

XX

XX

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 है।

(2) से (3) XX XX XX XX

2. परिभाषा.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (य) XX XX XX XX

(यक) “विश्वविद्यालय” से वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है।

3. निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के प्रथम चेयरपर्सन और प्रथम प्रेसीडेन्ट और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके द्वारा वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(2) से (4) XX XX XX XX

XX

XX

XX

XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 30 of 2013**THE VIT UNIVERSITY, JAIPUR (CHANGE OF NAME)****BILL, 2013**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill*

to change the name of the VIT University, Jaipur and to make certain amendments in the VIT University, Jaipur Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the VIT University, Jaipur (Change of Name) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 7th June, 2013.

2. Change of name of the VIT University, Jaipur.- (1) The name of the VIT University, Jaipur incorporated under the VIT University, Jaipur Act, 2012 (Act No. 11 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be "The Vivekananda Global University, Jaipur".

(2) Any reference to the VIT University, Jaipur in any law for the time being in force or in any indenture, instrument, or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Vivekananda Global University, Jaipur Act, 2012.

5. Repeal and savings.- (1) The VIT University, Jaipur (Change of Name) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 8 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

THE SCHEDEULE**(See section 3)**

Preamble.- In preamble, for the existing expression "*the VIT University, Jaipur*", the expression "*the Vivekananda Global University, Jaipur*" shall be substituted.

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the VIT University, Jaipur Act", the expression "the Vivekananda Global University, Jaipur Act" shall be substituted.

Section 2.- For clause (za), the following clause shall be substituted, namely:-

"(za) "University" means the Vivekananda Global University, Jaipur.".

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression "the VIT University, Jaipur", the expression "the Vivekananda Global University, Jaipur" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to keep pace with the rapid development of the State and to provide higher education by allowing the private institutions engaged in higher education having sufficient resources and experience, the VIT University, Jaipur was established by the State Government in the year 2012.

After the establishment of the VIT University, Jaipur, a writ petition was filed by the VIT University, Vellore (Tamilnadu) before the Hon'ble High Court of Judicature at Chennai wherein it was requested to the Hon'ble Court to issue an interim injunction restraining from infringement in any form of the Trade Mark 'VIT'. Keeping in view the aforesaid writ petition, the Board of Management of the VIT University, Jaipur after seeking the approval of the sponsoring body i.e. Bagaria Education Trust, Jaipur has requested the State Government to change the name of the University from the VIT University, Jaipur to the Vivekananda Global University, Jaipur so as to avoid any litigation.

The State Government had considered the above request to change the name of the VIT University, Jaipur to 'The Vivekananda Global University, Jaipur'.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the VIT University, Jaipur (Change of Name) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 8 of 2013), on 7th June, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 10th June, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

**डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE VIT UNIVERSITY,
JAIPUR ACT, 2012
(Act No. 11 of 2012)**

XX

XX

XX

XX

Preamble.-An Act to provide for establishment and incorporation of the VIT University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

XX

XX

XX

XX

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the VIT University, Jaipur Act, 2012.

(2) to (3) xx xx xx xx

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) to (z) xx xx xx xx
(za) "University" means the VIT University, Jaipur.

3. Incorporation.- (1) The first Chairperson and the first President of the University and the first members of the Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the VIT University, Jaipur.

(2) to (4) xx xx xx xx

XX

XX

XX

XX

2013 का विधेयक सं.30

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन करने और
वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय
संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

**THE VIT UNIVERSITY, JAIPUR (CHANGE OF NAME)
BILL, 2013**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

*to change the name of the VIT University, Jaipur and
to make certain amendments in the VIT University, Jaipur
Act, 2012.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHAstry,
Special Secretary.

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)